रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1972 (अश्विन 1, 1894)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972 (ASVINA 1, 1894)

GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं —

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
NIL

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1021
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1565
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	81
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1381
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2683
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3579
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	509
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1313
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	273
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1391
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	185
पूरक संख्या 39—	
16 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1827
26 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा कई बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1851

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1021
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1565
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	81
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1381
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	2683
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3579
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	509
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1313
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	273
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1391
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	185
SUPPLEMENT No. 39	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 16th September, 1972	1827
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week 26 August, 1972	1851

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1972

सं० 103-प्रेज०/72—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक का बार महर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एम० सी० सोम,
पुलिस उप अधीक्षक,
4थी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30 दिसम्बर 1971 को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 4थी बटालियन को विरोधियों की एक सशस्त्र टुकड़ी को, जिन्होंने मणिपुर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, और जो राज्य में शान्ति भंग करने के आशय से इम्फाल की घाटी की ओर बढ़ रहे थे, पकड़ने का आदेश दिया गया । 2 जनवरी, 1972 को 4थी बटालियन की सभी कंपनियों को, जब वे लखीचारा गांव के समीप डेरा डाले हुए थे, प्रातः 6 बजकर 45 मिनट पर विरोधियों के सही ठिकाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई । सूचना मिलते ही श्री एम० सी० सोम तुरन्त विरोधियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़े । ठंडे पानी तथा घने जंगल में से गुजरने के बाद श्री सोम के नेतृत्व में गश्तीदल संदिग्ध स्थान में पहुंचा और कार्यवाही को सफल बनाने के उद्देश्य से उन्होंने गश्तीदल के कर्मचारियों को सुनियोजित ढंग से तैनात किया । इस प्रकार तैनात करने के कार्य पूरा करने के पश्चात् श्री सोम आगे बढ़े । विरोधी सावधान हो गये और उन्होंने लगभग 75 मीटर की दूरी से ही गश्तीदल पर स्वचालित हथियारों से गोली चला दी । श्री सोम विचलित नहीं हुए और अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे । उन्होंने विरोधियों पर आक्रमण किया और घमासान लड़ाई के बाद विरोधियों का वहां से सफाया कर के सात सशस्त्र विरोधियों को स्वचालित राइफलों और एक स्टेनगन सहित पकड़ लिया । पूछताछ तथा बाद की संक्रियाओं में 6 और विरोधी गिरफ्तार किये गए ।

विरोधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में श्री एम० सी० सोम ने उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जनवरी, 1972 से दिया जायेगा ।

सं० 104-प्रेज०/72—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० एम० शाह,
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,
आगरा ।

श्री जैपाल सिंह,
सहायक कमांडेट,
15वी बटालियन,
प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी,
आगरा ।

श्री किशन सिंह तोमर,
प्लाटून कमांडर,
15वीं बटालियन,
प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी,
आगरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

17 जुलाई, 1970 को 4.30 बजे शाम को श्री ए० एम० शाह, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को अपर पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि डाकू जंगाफूला के गिरोह के अधिकांश लोग गांव थोर (राजस्थान) में देखे गये हैं और पुलिस दल ने उन्हें गांव में घेर रखा है । धौलपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ने अधिक से अधिक पुलिस दल घटना स्थल पर तुरन्त भेजने का अनुरोध किया । यह सूचना पाते ही श्री ए० एम० शाह, अधिकतम उपलब्ध पुलिस दल के साथ तुरन्त घटना स्थल के लिए रवाना हो गये । गांव के बाहर पहुंचने पर पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बांटा गया जिनमें से दो का नेतृत्व श्री ए० एम० शाह तथा श्री जैपाल सिंह ने किया । पुलिस टुकड़ियों को गांव के चारों ओर डाले गये घेरे में उपयुक्त स्थान पर तैनात किया गया । सारी रात दोनों ओर से गोलाबारी होती रही । डाकुओं ने गोलियों की आड़ में तीन चार बार भागने का प्रयत्न किया किन्तु पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया । प्रातः 4.30 बजे डाकुओं ने पुलिस पर भारी गोलीबारी की तथा पुनः भाग निकलने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल रहे । तब पुलिस द्वारा घेरे को और मजबूत करने का निश्चय किया गया । भारी गोलीबारी के बावजूद पुलिस घेरे को डाकुओं से लगभग 50 गज

की दूरी तक ले गये । प्रातः 5 बजे डाकुओं के छिपने के स्थान पर एकाएक धावा बोलने का निश्चय किया गया और इस प्रयोजन के लिए स्वेच्छा से आगे आने के लिए कहा गया । श्री जैपाल सिंह तथा श्री किशनसिंह तोमर ने अपनी सेवाएं अर्पित की और डाकुओं पर बुतरफा आक्रमण कर दिया । श्री ए०एम० शाह, श्री जैपाल सिंह तथा श्री किशन सिंह तोमर समेत सभी पुलिस अधिकारी डाकुओं की भारी गोली बारी के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न कर रेंगते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े । दो डाकू गोली से मारे गये परन्तु तीन डाकू पीछे के मकानों में भाग निकले । तत्पश्चात् शेष डाकुओं को ढूंढने के लिए घर-घर छानबीन की गई । डाकू रुक-रुक कर गोली चला रहे थे और छिप कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे । एक डाकू ने घेरा तोड़ने की कोशिश की परन्तु उसे गोली से मार दिया गया । उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से की गई कार्रवाई के परिणाम-स्वरूप कुल मिलाकर 13 डाकू मारे गये और भारी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद पकड़ा गया ।

जंगाफूला के गिरोह के डाकुओं के साथ मुठभेड़ में सर्वश्री ए० एम० शाह, जैपाल सिंह तथा किशन सिंह तोमर ने उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप श्री किशन सिंह तोमर को नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जुलाई, 1970 से दिया जाएगा ।

सं० 105-प्रेज०/72—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सूरज भान,
कांस्टेबल सं० 1191-एन०,
दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

जिला रोहतक के एक कुख्यात आततायी प्रेम सिंह ने राई और सोनीपत पुलिस थाना क्षेत्रों में आतंक फैला रखा था और हत्या के दो मामलों में उसकी तलाश थी । कश्मीरी गेट पुलिस थाने का कांस्टेबल सूरज भान, सादे कपड़ों में बिना किसी हथियार के दिनांक 24 जून, 1970 को, जब गश्ती ड्यूटी पर थे, तो दिन के ढाई बजे उन्हें पता चला कि एक सन्देहास्पद व्यक्ति सिलक पार्क में छिपा हुआ है । श्री सूरज भान तुरन्त पार्क में गये और वहां मैले कपड़ों में एक व्यक्ति को देखा । पूछताछ करने पर उस अजनबी ने उपेक्षापूर्ण उत्तर दिए । जब कांस्टेबल सूरज भान ने अजनबी को वहां से उठने और थाने चलने को कहा तो उठा और एक भरी हुई रिवाल्वर निकाल कर अपने आप को प्रेम सिंह बतलाते हुए कांस्टेबल सूरज भान को वहां से तुरन्त चले जाने को कहा । प्रेम सिंह ने कांस्टेबल सूरज भान को धमकी दी कि यदि वह स्थान छोड़ कर नहीं जायेगा तो उसे वह मार देगा/भरी हुई रिवाल्वर और आततायी की धमकी की परवाह न करते हुए कांस्टेबल सूरज भान प्रेम सिंह के हाथ से रिवाल्वर छीनने के लिए उस पर झपटे ही थे कि प्रेम सिंह ने पुलिस कांस्टेबल पर गोली चला दी । गोली निशाना चूक गई । कांस्टेबल सूरज भान और आततायी प्रेम सिंह के बीच एक घातक द्वन्दयुद्ध हुआ जिसमें प्रेम सिंह ने फिर दुबारा गोली चलाई जो कांस्टेबल सूरज भान की दाहिनी आंख की भृकुटी को आस्पर्श करती हुई निकली जिससे घाव होने से खून बहने लगा । इसी समय रिवाल्वर का चैम्बर खुल गया और उसके बाकी चारों अनदगे कारतूस नीचे गिर गये । कांस्टेबल सूरज भान एक राहगीर की सहायता से आततायी को वश में कर सके ।

कुख्यात आततायी के साथ हुई उक्त मुठभेड़ में श्री सूरज भान, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया और आततायी के गोली भरे रिवाल्वर की परवाह न करते हुए उस पर काबू पा लिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जून, 1970 से दिया जायगा ।

सं० 106-प्रेज/72—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री सुरजीत सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया कया :—

जिला भिंड के गांव मल्लपुरा के निवासी डाकू छोटे सिंह राजपूत ने एक प्रबल गिरोह संगठित किया था और पिछले 10 वर्षों में वह पुलिस द्वारा उसे समाप्त करने के प्रयत्नों के बावजूद बचा रहा । जिला भिंड के मैदानी क्षेत्र में अपनी गतिविधियां जारी रखना कठिन पाकर डाकू छोटे सिंह ने जिला मुरैना, शिवपुरी तथा राजस्थान में कोटा के क्षेत्रों में लूटमार करना आरम्भ कर दिया । 11 मार्च, 1971 को मुरैना के पुलिस अधीक्षक, श्री सुरजीत सिंह को सूचना मिली कि पालपुर पुलिस थाने के पीरा गांव के समीप जंगल में यह गिरोह मौजूद है । उन्होंने 11 मार्च, 1971 की घोर रात्रि में पैदल चलकर 7 मील का चक्कर काटा और 12 मार्च को प्रातः पीरा गांव के समीप जंगल में प्रवेश किया । पुलिस दल दो टोलियों में बांटा गया जिसमें से एक का नेतृत्व स्वयं श्री सुरजीत सिंह ने किया । डाकू घने जंगल की एक पहाड़ी की चोटी पर आड़ में थे और पुलिस दलों की गतिविधियों को देख सकते थे तथा उन पर आसानी से गोली चला सकते थे । जब पुलिस की एक टुकड़ी पश्चिम की ओर से पहाड़ी के निकट पहुंची तो डाकुओं ने उस पर गोली चला दी । यह देख कर कि पुलिस के एक दल पर डाकू भारी गोलबारी कर रहें हैं, श्री सुरजीत सिंह अपनी जान को गम्भीर जोखिम में डाल, अपने छोटे दल के साथ पहाड़ी की ओर बढ़े और डाकुओं पर आक्रमण किया । श्री सुरजीत सिंह द्वारा किए गए इस आक्रमण के परिणामस्वरूप डाकू अपने स्थान से भाग गये । श्री सुरजीत सिंह ने भागते हुए डाकुओं का पीछा किया और मुठभेड़ में उनमें से तीन को गोली

से मार दिया और दो अपहृत व्यक्तियों को भी रिहा कराया। बाद की कार्यवाहियों में कुछ और डाकू भी गोली से मारे गये और शेष डाकुओं में से अधिकांश को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुरजीत सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा शौर्य का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1972

संख्या 26/3/71-ए० एन० एल०—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/5/62-ए०एन० एल० दिनांक 22 फरवरी, 1963 को अधिक्रमित करते हुए, राष्ट्रपति, अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह संघ शासित क्षेत्र के संबंध में, इस संघ शासित क्षेत्र के मुख्यायुक्त से संबद्ध की जाने वाली एक सलाहकार समिति का सहर्ष गठन करते हैं।

2. सलाहकार समिति में मुख्यायुक्त जो कि समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, तथा 18 अन्य सदस्य होंगे।

3. उपर्युक्त 18 सदस्यों में से निम्नलिखित पदाधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(क) इस संघ-शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद् सदस्य और

(ख) पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् का वरिष्ठ उपाध्यक्ष

4 (1) शेष 16 सदस्य निम्नलिखित इलाकों को प्रतिनिधित्व और प्रत्येक इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या उन में से प्रत्येक के सामने दिये हुए अनुसार होगी :—

इलाका	सदस्यों की संख्या
(1) दिग्लीपुर तहसील तथा मायाबन्दर सहसील का काली-घाट इलाका	दो
(2) मायाबन्दर तहसील का मायाबन्दर इलाका	एक
(3) रणघाट तहसील	दो
(4) दक्षिण अंडमान का सुदूर दक्षिण भाग तथा लिटिल अंडमान	एक
(5) दक्षिण अंडमान का ग्रामीण इलाका, उपर्युक्त (4) को छोड़कर	चार
(6) दक्षिण अंडमान का शहरी इलाका	दो
(7) कार निकोबार	दो
(8) काचल तथा ग्रेट निकोबार को छोड़कर, नानकोरी सी०डी० ब्लाक का इलाका	एक
(9) ग्रेट निकोबार और काचल	एक

4(2) उपर्युक्त, उप-पैरा (1) में उल्लिखित इलाकों में से प्रत्येक इलाके के अंतर्गत शामिल पंचायतों या द्वीपसमूहों का, यथास्थिति, विवरण मुख्यायुक्त द्वारा समय-समय पर स्थानीय राजपत्र में की गई अधिसूचना के अनुसार होंगे।

4(3) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के नीचे खण्ड (1) से (5) तक के इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष, संबद्ध इलाकों के पंचायत प्रधानों में से स्वयं उन पंचायत प्रधानों द्वारा हाथ उठाकर वोट की पद्धति से, किया जायेगा।

4(4) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के खण्ड (6) में उल्लिखित इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद् के सदस्यों में से स्वयं उन सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर वोट की पद्धति से किया जायगा।

4(5) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के खण्ड (7) और (8) में उल्लिखित इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष संबद्ध इलाकों के जन-जातियों के सरदारों (कैप्टेन) में से स्वयं उन सरदारों द्वारा हाथ उठाकर वोट की पद्धति से किया जायेगा।

4(6) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के खण्ड (9) उल्लिखित इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष मनोनीत किया जायगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल प्रतिवर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक होगा। तथापि, वर्ष 1972-73 के लिए गठित की जाने वाली सलाहकार समिति का कार्य-काल इस समिति के गठन की तारीख से शुरू होगा और यह 31 मार्च, 1973 को समाप्त होगा।

6. समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और उसे किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। तथापि, सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, समिति की बैठकों के संबंध में यात्रा करने। ठहरने के लिए यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हक होगा।

7. समिति की बैठकें जितनी बार भी संभव हो सकेंगी, होंगी, किन्तु प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

8. मुख्यायुक्त निम्नलिखित बातों में समिति की सलाह लेंगे :—

(i) ऐसा प्रशासनिक कार्य जिसमें नीति-संबंधी सामान्य प्रश्न शामिल हों,

(ii) द्वीप समूहों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा शैक्षणिक विकास तथा सामान्य तौर पर जन-कल्याण।

9. मुख्यायुक्त द्वारा, अपने विवेक पर लोक हित में कोई भी सूचना देने या विचार-विमर्श करने से इन्कार किये जाने की शर्त के अधीन, सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रश्न पूछने के संबंध में उन्हीं परिसीमाओं के अंतर्गत और वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि किसी राज्य विधान-मण्डल के सदस्यों को प्राप्त हैं।

जयाकर जानसन, उप-सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1972

संकल्प

संख्या 3/4/70-पी०पी०डी०—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या 1/78/69-पी०पी०डी० दिनांक 11 मई, 1970 में, जून, 1968 में स्थापित की गई तेल मूल्य-समिति (जो इसके बाद में ओ०पी०सी० के नाम से संबोधित है) की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णयों की घोषणा की थी। ओ०पी०सी० की अनुपूरक रिपोर्ट में, जो बाद में प्राप्त हुई थी, लूब बेस स्टाक्स लुब्रीकैन्ट्स और ग्रीजिज आदि का उल्लेख किया गया है।

2.1. इस रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सरकार ने ओ०पी०सी० की सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया है। जैसे विशिष्ट लूब बेस के शोधनशाला द्वारा मूल्य, आयात की अनुमानित लागत के आधार पर निश्चित किए जाने चाहिए। इस मूल्य निर्धारण में, समान ग्रेडों के वास्तविक आयात के न्यूनतम एफ०ओ०बी० (पोत पर्यन्त मूल्य) मूल्य का प्रयोग किया जाए और आयात किए जाने वाले ऐसे समान ग्रेडों के उपलब्ध न होने, पर आयातित ग्रेडों के निकटतम तुलनात्मक ब्लैंडों के मूल्य से परिकलित न्यूनतम एफ०ओ० बी० मूल्य का प्रयोग किया जाए। किन्तु आयातित स्टाक के एफ० ओ० बी० मूल्यों की, जिन्हें तेल मूल्य समिति ने देशीय उत्पादों के मूल्यों की संगणना के लिए प्रयोग किया था, आयात किए गए इन स्टाकों के वास्तविक पोर-पाइन्ट्स के आधार पर पुनः गणना करनी पड़ी थी। ऐसा करने का कारण यह था कि तेल मूल्य समिति का इन आयातित स्टाक, जिनके एफ० ओ० बी० मूल्यों को समिति ने इस त्रुटिपूर्ण धारणा, कि सभी स्टाकों के कुछ निम्न स्तरनक पोर-पाइन्ट्स थे, पर आधार के रूप में अपनाया था; के वास्तविक पोर-पाइन्ट्स की ओर ध्यान नहीं गया था। अतः मूल्य को कम करने की मात्रा, जो उच्च निकासी स्थान के परिणामस्वरूप न्यायसंगत हो, के निर्धारण एवं पुनः गणना करने में; सही पोर-पोइन्ट्स के अनुरूप उत्पादों से संबंधित मूल्य विवरण का प्रयोग किया गया है। पेल आयल के संबंध में पोर-पाइन्ट्स के कारण कमी को केवल उस स्थिति में आवश्यक समझा गया था यदि उनसे तैयार किए गए बेस स्टाक का पोर-पाइन्ट्स $+37^{\circ}$ एफ० की तुलना में अधिक हो, जो कि भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टि (आइ० एस० 493-1958) के अनुसार, धुरी-तेलों की और मशीनरी के तेलों, जिनमें पेल-आयल का प्रयोग किया जाता है, के लिए अधिकतम पोर-पाइन्ट्स है और "क्वालिटी" के लिए कोई सामंजन आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.2. जहां तक ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टाक का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि जब इस उत्पाद (आयल बेस स्टाक) का भारत में उत्पादन से पूर्व वास्तविक रूप में आयात किया गया था, उस समय अदा किए गए न्यूनतम एफ०ओ०बी० का प्रयोग करते हुए, शोधनशाला द्वारा मूल्य का निर्धारण करने के लिए तेल मूल्य समिति द्वारा बताए गए आधार को अभी स्वीकार किया जाए।

2.3. क्योंकि तेल-मूल्य-समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बाद, मद्रास बन्दरगाह के घाट-शुल्क की दरों में वृद्धि हो गई थी, इसलिए मद्रास में, लूब बेस स्टाक्स के मूल्यों के निर्धारण में, मद्रास बन्दरगाह पर संशोधित घाट-शुल्क की दरों को ध्यान में रखा गया है। ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टाक को सम्मिलित करते हुए 22 लूब बेस स्टाक्स के संबंध में अधिकतम विक्रय शोधनशाला द्वारा मूल्यों, जो सरकार द्वारा संशोधित की गई तेल-मूल्य समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं, की सूचना कम्पनियों को पृथक् से दी जा रही है।

2.4. समिति ने सुझाव दिया है कि लूब बेस स्टाक्स के लिए इस समय निर्धारित किए जाने वाले मूल्य तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहने चाहिएं। इस अवधि के दौरान एफ०ओ०बी० लागतों, समुद्री भाड़े, बीमा, घाटशुल्क अथवा अन्य किस्म की आयात लागत जिसमें शुल्क शामिल नहीं है में परिवर्तन करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जायेगा और इसके अतिरिक्त सीमाकर की दरों एवं अतिरिक्त उत्पादन शुल्क दरों में विभिन्नताओं के लिए समायोजन किया जायेगा। यह सिफारिश निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार की गई है।

(क) अब निर्धारित किए गए मूल्य प्रारम्भ में 1-6-73 तक लागू होंगे जिसमें से प्रपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण, जिसका सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, और जिनका उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संकल्प में निर्देश किया गया था, की वैधता की अवधि के साथ समाप्त हो।

(ख) विक्रय करने वाली कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले उत्पादन शुल्क के बिना जोड़े हुए शोधनशाला द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का कर शोधनशाला द्वारा उत्पाद की सप्लाई के समय दिया जाता है, तो सम्बद्ध विक्रय करने वाली कंपनी द्वारा शोधनशाला को इस की पूर्ति करनी पड़ेगी।

(ग) भविष्य में आयात करके दरों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण विक्रय मूल्यों में कोई समायोजन नहीं किया जायेगा।

2.5. सरकार ने अपने देश में लूब बेस स्टाक्स पर लिए जाने वाले उत्पादन शुल्क की तुलना में सीमा कर अधिक होने के कारण, लूब शोधनशालाओं को प्राप्त होने वाले बाहरी लाभों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

3. समिति ने सुझाव दिया है कि विक्रेता देशीय लूब बेस स्टाक्स के मूल्यों का निर्धारण, वर्तमान में प्रवृत्त मूल्य के आधार पर किया करें क्योंकि उन्होंने देशीय लूब बेस स्टाक्स तथा उन उत्पादों, जिनका आयात जारी रहेगा के लिए अधिकतम विक्रय मूल्य की सिफारिश नहीं की है। यह सिफारिश इस परन्तुक के साथ स्वीकार की गई है कि सरकार को अतिरिक्त लूब बेस स्टाक्स अथवा नये लूब बेस स्टाक्स, जिनकी भविष्य में उत्पादन किया जायेगा, के शोधनशाला द्वार पर अधिकतम विक्रय मूल्यों का (जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझती है) निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है।

4. तेल मूल्य समिति की सिफारिश—कि क्योंकि इस समय लुब्रीकैन्ट्स और ग्रीजिज के प्रत्येक ग्रेड का मूल्य निर्धारण करना

संभव नहीं था, इन उत्पादों पर मूल्य की पद्धति के अंतर्गत जारी रहेगा। को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सरकार के संकल्प के पैरा 2-6 (क) में लिए गए निर्णय इस केस में भी लागू होंगे।

5. सरकार समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करती है कि लाईट डीजल आयल पर व्यापारियों को दी गई कमीशन की दर प्रति किलो 6.60 रुपये के वर्तमान स्तर पर जारी रहेगी और स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अंतर्गत एजेंटों/व्यापारियों द्वारा किए गए किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय को वसूल करने की अनुमति दे सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्र के प्रशासनों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बु० मुकर्जी, सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 1972

शुद्धि-पत्र

विषय :—नेशनल कोडेक्स (खाद्य उत्पाद मानक) समिति।

प० सं० 14-19/71-जन० स्वा०—उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 6 अक्तूबर, 1971 के शुद्ध पत्र संख्या एफ० 14-19/71-ज०स्वा० द्वारा यथा संशोधित स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय के 31 मार्च, 1970 के संकल्प संख्या एफ० 14-36/67-ज०स्वा० के पैरा 1 में क्रम संख्या 15 के सामने उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाय :

"उप सहायक महानिदेशक
(खाद्य अपमिश्रण निवारण)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
सदस्य सचिव/सम्पर्क अधिकारी"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत्र की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्री मण्डल सचिवालय, योजना आयोग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा इस समिति के सरकारी सदस्यों को भेज दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत्र की एक प्रतिलिपि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली को भेज दी जाये।

के० सत्यनारायण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त, 1972

संकल्प

प० सं०वी० 18014/1/72-एम० पी० टी०—संकल्प संख्या 8-20/70-एम०पी०टी० दिनांक 1-6-72 के अधीन अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलौर और सरकारी मानसिक रोग अस्पताल, बंगलौर के लिए एक सांझा शासी निकाय बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को उसके गठन की तिथि से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। अब यथापूर्व शर्तों पर इस समिति की कार्यविधि को और आगे चार महीने बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

म० हु० जिनजानी, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1972

संकल्प

सं० 11-42/69-पशुधन विकास-1—डेरी उद्योग, कुक्कुट-पालन तथा सुअर पालन उद्योगों के क्षेत्र में, भारत में बढ़ते हुए पशुधन-उत्पादन की सहायता के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के संकल्प संख्या 11-42/61-पशुधन विकास-1 दिनांक 20-3-71 के आंशिक संशोधन में भारत सरकार ने श्री एस० बी० गोस्वामी, सयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, कृषि विभाग को डा० ओ० एन० सिंह, संयुक्त आयुक्त, पशुधन उत्पादन, कृषि विभाग के स्थान पर, समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि श्री के० बी० थियागराजन्, भूतपूर्व अवर सचिव, खाद्य विभाग के स्थान पर श्री यू० एस० पांडे, अवर सचिव, खाद्य विभाग, समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

2. इस संकल्प के आंशिक संशोधन में भारत सरकार यह भी आदेश देती है कि यह समिति 30 सितम्बर, 1972 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. सब राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र।
2. भारत के सब मंत्रालय/विभाग।
3. मंत्रिमंडल सचिवालय।
4. प्रधान मंत्री का सचिवालय।
5. राष्ट्रपति का सचिवालय।
6. योजना आयोग।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
10. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
11. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
12. स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक, नई दिल्ली।

13. भारत में पशुधन उत्पादन की सहायता के लिये खाद्यांशों की आवश्यकता वाली समिति के अध्यक्ष तथा सब सदस्य ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

वी० पी० गुलाटी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1972

सं० एफ० 27(1)/72—समन्वय 1—भा० कृ० अ० परिषद्—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 75 के उपबन्धों के अधीन कृषि मंत्री निम्नलिखित व्यक्तियों को 8 जुलाई, 1972 से 3 वर्ष की अवधि अथवा मंत्री द्वारा समिति में उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने तक, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, सोसाइटी की पशु-विज्ञान अनुसंधान की स्थायी समिति का सदस्य सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1—डा० महसून आलम,
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
प्राणी विज्ञान विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।

2—श्री जे० एम० बजूर बरुआ,
निदेशक, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग,
असम (गोहाटी) ।

3—डा० के० के० इया,
तकनीकी निदेशक,
कोका कोला निर्मात निगम
14-ए निजामुद्दीन वैस्ट,
नयी दिल्ली-13 ।

4—डा० वी० जी० क्षिगरंग,
निदेशक,
केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान,
बैरकपुर वाया कलकत्ता ।

5—डा० के० कानूनगो,
संयुक्त निदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नयी दिल्ली-12 ।

6—डा० एम० एल० मगूं,
निदेशक,
भारतीय चारा एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान
झांसी, उत्तर प्रदेश ।

7—डा० डी० आर० मरवाहा,
पशुपालन निदेशक,
जम्मू कश्मीर,
श्रीनगर, जम्मू तवी ।

8—डा० के० के० जी० मेनन,
हिन्दुस्तान लीवर्स लि०, अनुसंधान केन्द्र,
चकाला अंधेरी (ईस्ट),
बम्बई-69 ।

9—डा० आर० डी० नंजियाह,
निदेशक शिक्षण,
पशुचिकित्सा महाविद्यालय,
कृषि विज्ञान महाविद्यालय,
डा० घ० हेब्बल, बंगलौर ।

10—डा० एन० के० पाणिक्कर,
निदेशक,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, (सी०एस०आई०आर०) ।
मीरामर पणजी (गोवा) ।

11—श्री टी० आर० पुरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
सरदार पटेल भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नयी दिल्ली-1 ।

12—डा० सी० कृष्णाराव,
पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय
कृषि विभाग,
नयी दिल्ली-1 ।

13—डा० एस० एन० रे,
सेवानिवृत्त वैज्ञानिक,
पशुचिकित्सा महाविद्यालय,
गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, उत्तर प्रदेश ।

14—डा० वी० रत्नसभापति,
डीन पशुचिकित्सा एवं अनुसंधान निदेशक,
मद्रास पशुचिकित्सा महाविद्यालय,
वेपरी, मद्रास ।

15—भादरी के श्री बजरंग बहादुर सिंह,
गढ़, जिला प्रतापगढ़,
उत्तर प्रदेश ।

16—डा० सी० एम० सिंह,
निदेशक,
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश ।

17—डा० डी० सुन्दरसेन,
निदेशक,
भारतीय डेअरी अनुसंधान संस्थान,
करनाल (हरियाणा) ।

तेजा सिंह प्रुथी, अवर सचिव

विज्ञान और औद्योगिक विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 अगस्त 1972

क्रमांक 1/8/71-सी०टी०ई०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि समिति पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21 वां) के अन्तर्गत कार्य संचालन के लिये (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) समिति को 1-8-1971 से

31-8-1974 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये पुनर्गठित किया गया है। उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1)	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
(2)	औद्योगिक विकास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	उपाध्यक्ष
(3)	श्री वाई० बी० चावन, वित्त मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
(4)	श्री मोहन कुमारमंगलम्, मन्त्री, इस्पात एवं खान, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य
(5)	श्री एम० एस० पाठक, सदस्य, योजना आयोग, योजना भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	सदस्य
(6)	डा० बी० डी० नागचौधरी, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, साउथ ब्लोक, नई दिल्ली-11 ।	सदस्य
(7)	डा० एम० एस० स्वामीनाथन, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रशाद रोड, नई दिल्ली ।	सदस्य
(8)	डा० डी० एस० कोठारी, चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
(9)	श्री एस० भूलगांवकर, वाईस-चेयरमैन, टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर (बिहार) ।	सदस्य
(10)	श्री जी० पारथसारथी, उप-कुलपति, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-11 ।	सदस्य
(11)	श्री एच० एन० सेठना, चेयरमैन, परमाणु ऊर्जा आयोग, ट्राम्बे, बम्बई ।	सदस्य
(12)	श्री ए० एस० अबराओ, मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ।	सदस्य
(13)	डा० जे० जे० नरुरकर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सुनीता लेबोरेटरीज, इंदौर । मध्य प्रदेश ।	सदस्य
(14)	श्री पी० एन० माथुर, चेयरमैन, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर (उत्तर प्रदेश) ।	सदस्य
(15)	श्री एम० एस० पारथसारथी, अध्यक्ष, फैडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज, मद्रास (तमिलनाडु) ।	सदस्य
(16)	डा० ए० रामचन्द्रन, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (तमिलनाडु) ।	सदस्य
(17)	श्री एन० बी० प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर, आंध्रा फाउन्डरीज लि०, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।	सदस्य
(18)	श्री के० सी० शराफ, निदेशक, एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, 184-187, स्वामी विवेकानन्द रोड, जोगेश्वरी, बम्बई-60, एन० बी० ।	सदस्य
(19)	कर्नल बी० बासु, चेयरमैन, बासकोन कनसलटेन्ट्स लि०, कलकत्ता, वैस्ट बंगाल ।	सदस्य
(20)	वित्तीय सलाहकार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, वित्त मंत्रालय, साउथ ब्लोक, नई दल्ली -11 ।	पदेन सदस्य
(21)	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली-1 ।	पदेन सदस्य

के० जी० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव
पदेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1972

सं० 6/9/71-बी० एण्ड बी०—यथा भाखड़ा नंगल परियोजना, पंजाब (1), पेप्सू, राजस्थान और बिलासपुर में सभी संबंधित कार्यों सहित, की दक्षतापूर्वक, मितव्ययी और शीघ्र क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, निर्माण, खान और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का०-दो-22 (3), दिनांक 25 सितम्बर, 1950 द्वारा भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड और भाखड़ा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया था।

सर्व साधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त बोर्डों का कार्य 1-11-66 से बन्द हो गया है।

एस० एल० चटर्जी, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th September 1972

No. 103-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Bar to the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri M. C. Soam,

Deputy Superintendent of Police,

4th Battalion,

Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 30th December, 1971, the 4th Battalion of the Central Reserve Police Force, were ordered to apprehend a contingent of armed hostiles who had infiltrated into the Indian territory in Manipur and were proceeding to Imphal valley with intention to disturb the peace in the State. On the 2nd January, 1972, the information about the exact location of the hostiles was received at 0645 hours by all the companies of the 4th Battalion, while they were camping near village Lakhichara. Immediately on receipt of the information, Shri M. C. Soam rushed to the hideout of the hostiles. After wading through cold water and moving through thick jungle, the patrol led by Shri Soam reached the suspected area and strategically deployed the personnel of the patrol to ensure successful action. After completing the deployment Shri Soam moved forward. The hostiles got alerted and opened fire on the patrol with automatic weapons while they were still about 75 metres away. Shri Soam remained undeterred and led his men without concern for his personal safety. He charged the hostiles and after a close battle dislodged them from their position and captured seven armed hostiles alongwith automatic rifles and one sten gun. After interrogation and follow-up operations, six more hostiles were arrested.

In the action against the hostiles, Shri M. C. Soam displayed conspicuous gallantry and courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd January, 1972.

No. 104-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri A. M. Shah,

Senior Superintendent of Police,

Agra.

Shri Jaipal Singh,

Assistant Commandant,

15th Battalion,

Pradeshik Armed Constabulary,

Agra.

Shri Kishan Singh Tomar,

Platoon Commander,

15th Battalion,

Pradeshik Armed Constabulary,

Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 17th July, 1970, at 4.30 p.m., information was received by Shri A. M. Shah, Senior Superintendent of Police, Agra from the Additional Superintendent of Police Dholpur that a major part of the gang of dacoit Jangaphoola had been located in village Thor (Rajasthan) and that the gang had been cordoned off by his force in the village. The Additional Superintendent of Police, Dholpur requested that as much froce as possible be rushed to the scene. On receipt of this information, Shri A. M. Shah rushed to the spot with the maximum available police force. On reaching the outskirts of the village, the police force was divided into three parties two of which were led by Shri A. M. Shah and Shri Jaipal Singh. The Police parties were deployed to take up positions in the cordon around the village. Firing continued from both sides for the whole of the night. The dacoits made three or four attempts to escape under the cover of fire but were not allowed to do so by the police party. At 4.30 a.m. the dacoits opened very heavy fire on the police force and made another attempt to escape put were not successful. It was then decided by the police to tighten the cordon. The cordon was then brought to a distance of about 50 yards from the dacoits inspite of heavy firing. At 5.00 a.m., it was decided to storm the hide-out of the dacoits and for this purpose volunteers were asked to come forward. Shri Jaipal Singh and Shri Kishan Singh Tomar came forward and a two-pronged attack was launched on the dacoits. All the police officers including Shri A. M. Shah, Shri Jaipal Singh and Shri Kishan Singh Tomar crawled towards their objective under heavy fire from the dacoits in disregard of their personal safety. Two dacoits were shot dead but three dacoits managed to escape to the houses in the rear. Thereafter, a house-to-house combing operation was launched in search of the remaining dacoits. The dacoits kept on firing intermittently and stealthily moved from one place to another. One of the dacoits made an attempt to break the cordon but was shot dead. As a result of the action by the above mentioned officers in collaboration with the officers of the Rajasthan police, a total of 13 dacoits were shot dead and a lot of arms and ammunition was captured.

In this encounter S/Shri A. M. Shah, Jaipal Singh and Kishan Singh Tomar exhibited conspicuous gallantry and courage.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently in the case of Shri Kishan Singh Tomar, the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th July, 1970.

No. 105-*Pres.*/72.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Suraj Bhan,

Constable No. 1191-N,

Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Prem Singh, a notorious desperado of Rohtak District, had become a source of terror in the Police Stations of Rai and Sonepat and was wanted in two cases of murder. On the 24th June, 1970, while Constable Suraj Bhan of Kashmere Gate Police Station was on 'gasht' duty in plain clothes without arms, he learnt at 1430 hours that a suspicious looking person was lurking inside Tilak Park. Shri Suraj Bhan immediately proceeded to the Park and noticed a person lying there in a shabby dress. On questioning, the stranger gave evasive replies. When Constable Suraj Bhan asked the stranger to get up and accompany him to the Police Station, the stranger got up, took out a loaded revolver, disclosed his identity as Prem Singh and asked the Constable Suraj Bhan to leave the place at once. Prem Singh threatened to kill Constable Suraj Bhan if the latter did not leave the place. Undeterred by the loaded revolver and the threats of the desperado Suraj Bhan, Constable, rushed at Prem Singh to snatch the weapon from his hands, but the latter fired a shot at the Police Constable. The bullet missed the target. A mortal combat ensued between Constable Suraj Bhan and the desperado Prem Singh in which the latter fired another shot which grazed past the right eye-brow of Constable Suraj Bhan which caused a bleeding wound. At this stage, the chamber of the revolver, got opened and 4 live cartridges fell down. Constable Suraj Bhan with the help of a passer-by overpowered the desperado.

In an encounter with a notorious desperado, Shri Suraj Bhan, Constable, exhibited conspicuous gallantry and overpowered him in disregard of the loaded revolver held by the desperado.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th June, 1970.

No. 106-*Pres./72.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Surjit Singh,

Superintendent of Police,

Morena,

Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoit Chhote Singh Rajput, resident of village Mallpura, District Bhind, had formed a formidable gang and had survived the efforts of the police to liquidate it during the last ten years. Finding it difficult to operate in the plains of District Bhind, dacoit Chhote Singh started ravaging the areas of Districts Morena, Shivpuri and Kota in Rajasthan. On 11th March, 1971, Shri Surjit Singh, Superintendent of Police, Morena, received information that the gang was present somewhere in the jungle near village Pera in Police Station Palpur. He took a detour of seven miles on foot in the dead of night of 11th March, 1971 and entered the fringe of the jungle near village Pera on the morning of 12th March, 1971. The Police party was divided into two groups one of which was personally led by Shri Surjit Singh. While the dacoits were at the top of a thickly wooded hill and had the advantage of cover, the police parties were moving exposed to their view and fire. When one of the police parties approached the hill from the western side, the dacoits opened fire on them. On seeing that a police party had been subjected to concentrated fire by the dacoits. Shri Surjit Singh rushed forward at the head of his small party towards the hill, and charged the dacoits exposing himself to grave risk of life. As a result of this charge by Shri Surjit Singh, the dacoits fled from their positions. Shri Surjit Singh chased the fleeing dacoits and shot dead three of them in running encounter and rescued two kidnapped persons. In the follow-up action, some more dacoits were shot dead, and most of the remaining dacoits were arrested.

In this encounter, Shri Surjit Singh displayed conspicous gallantry, courage and bravery.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 24th August 1972

No. 26/3/71-*ANL.*—In supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 1/5/62-ANL, dated the 22nd February, 1963, the President is pleased to constitute an Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, to be associated with the Chief Commissioner of the Union territory.

2. The Advisory Committee will consist of the Chief Commissioner, who will preside over the meetings of the Committee, and 18 other members.

3. Of the 18 members, the following will be *ex-officio* members of the Committee :—

(a) Member of Parliament representing the Union territory, and

(b) the Senior Vice-Chairman of the Port Blair Municipal Board.

4. (1) The remaining 16 members will represent the following areas and the number of members representing each area will be as indicated against each :

Area and Number of Members

(i) Diglipur Tahsil and Kalighat area of Mayabunder Tahsil—Two.

(ii) Mayabunder area of Mayabunder Tansil—One

(iii) Rangat Tahsil—Two.

(iv) Southernmost part of South Andaman and Little Andaman—One.

(v) Rural area of South Andaman excluding (iv) above—Four.

(vi) Urban Area of South Andaman—Two.

(vii) Car Nicobar—Two.

(viii) Nancowrie C.D. Block area excluding Katchal and Great Nicobar—One.

(ix) Great Nicobar and Katchal—One.

4. (2) The details of the Panchayats or islands, as the case may be, which are comprised in each of the areas mentioned in sub-para (1) above will be as notified by the Chief Commissioner in the local Gazette from time to time.

4. (3) The members representing the areas referred to in clauses (i) to (v) of sub-para (1) above will be elected by show of hands, by the Panchayat Pradhans of the respective areas from amongst themselves, each year.

4. (4) The members representing the area referred to in clause (vi) of sub-para (1) above will be elected, by show of hands, by the members of the Port Blair Municipal Board from amongst themselves, each year.

4. (5) The members representing the areas referred to in clauses (vii) and (viii) of sub-para (1) above will be elected, by show of hands, by the Captains of the tribals of respective areas from amongst themselves, each year.

4. (6) The member representing the area referred to in clause (ix) of sub-para (1) above will be nominated by the Government of India in the Ministry of Home Affairs, each year.

5. The term of the members mentioned in para 4 above will be from the 1st of April each year to the 31st of March of the following year. Notwithstanding this, however, the term of the Advisory Committee being constituted for the year 1972-73 will commence from the date of its constitution and end on the 31st March, 1973.

6. The office of a member of the Committee shall be honorary and shall not carry any remuneration. The members will, however, be entitled to travelling allowance and daily allowance for journeys/halts in connection with the meetings of the Committee in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

7. The Advisory Committee will meet as frequently as possible but at least once in every quarter.

8. The Chief Commissioner will seek the advice of the Committee on matters relating to :—

(i) administration involving general questions of policy;

(ii) economic, social, cultural and educational development of the Islands and welfare of the people in general.

9. Subjects to the discretion of the Chief Commissioner to refuse in the public interest to give information or to allow discussion, members of the Advisory Committee will have rights in regard to interpellations analogous to and under similar limitations as those of members of a State Legislature.

JAYAKER JOHNSON, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

New Delhi, the 6th September 1972

RESOLUTION

No. 3/4/70-*PPD.*—In its Resolution No. 1/78/69-PPD, dated the 11th May 1970, the Government of India announced the decisions taken on the Report of the Oil Prices Committee (hereinafter referred to as OPC) set up in June 1968. The Supplemental Report of the OPC, which was received subsequently, deals with the pricing of lube base stocks, lubricants and greases etc.

2. 1. After a careful study of this Report, the Government has decided to accept in principle the OPC's recommendation, namely, that the ex-refinery prices of specified lube base stocks should be fixed on the basis of the estimated cost of imports using the lowest FOB price of actual import of equivalent grades and, in the absence of such equivalent grades having been imported, the computed lowest FOB price from the price of the nearest comparable blend of imported grades. However, the FOB prices in respect of the imported stocks, which the OPC had used for computing the prices of indigenous products, had to be re-worked on the basis of the actual pour-points of these imported stocks. The reason for this was that the OPC had overlooked the actual pour-points of the imported stocks whose FOB prices it had adopted as the basis on the incorrect assumption that all of them had a pour-point below a certain level. Thus, in making re-calculations and determining the extent of price reduction justified as a result of higher pour-point, price data relating to products with correct pour-points have been used. In the case of Pale Oils, however, reduction on account of pour-point was considered necessary only if the base stocks made from them have a pour-point higher than +37°F which is the maximum pour-point mentioned in the I.S.I. specification (IS-493-1958) for machinery and spindle oils in the blending of which Pale Oils are used and no adjustment was considered necessary for "quality".

2. 2. As regards Transformer Oil Base Stock, it has been decided to accept, for the present, the basis suggested by the OPC for fixing the ex-refinery price using the lowest FOB cost paid when this product was actually imported in India prior to its production indigenously.

2. 3. As the wharfage rates of Madras Port increased after the submission of the Report of OPC, revised wharfage rates at Madras have been taken into account in determining the prices of lube base stocks at Madras. The ceiling selling ex-refinery prices, based on the recommendations made by OPC as modified by the Government, in respect of 22 lube base stocks including Transformer Oil Base Stock are being notified to the oil companies separately.

2. 4. The Committee has suggested that the prices now being fixed for lube base stocks should reamin in force for a period of 3 years during which no adjustment will be made for changes in FOB costs, fluctuations in marine freight, insurance, wharfage or other elements of import cost exclusive of duty and further that adjustment will be made for variations in the rates of customs duty and additional excise duty. This recommendation has been accepted with the following modifications :—

(a) The prices as determined now will be applicable initially till 1-6-73 so as to be co-terminus with the period of validity of the pricing of bulk refined petroleum products as decided by Government and set out in the Resolution referred to in para 1 above.

(b) The ex-refinery prices should be fixed without adding the additional excise duty *payable by the marketing companies*. In case such a duty is paid by the refinery at the time of delivery of the product, the same shall be reimbursed to the refinery by the marketing company concerned.

(c) No adjustment need be made in the selling prices on account of future variations in the rates of import duty.

2.5. The Government has already decided to mop up the adventitious gains accruing to Lube Refineries on account of the customs duty element being higher than the excise duty on indigenous lube base stocks.

3. The Committee has suggested that the prices of indigenous lube base stocks for which no ceiling selling prices have been recommended by it and of the products that continue to be imported, the seller may continue to determine the price as at present. This recommendation is accepted with the proviso that the Government reserves the right to fix, as and when it considers it necessary to do so, the ceiling ex-refinery selling prices of additional lube base stocks or new lube base stocks which may be produced in future.

4. The recommendation of the OPC that as it was not feasible to fix the price of each grade of lubricants and greases at present, the price control over these products should continue to be under "Block Control" system as at present, has been accepted by Government and the decision conveyed in para 2.6(a) of the Government's Resolution referred to in para 1 above will apply to this case also.

5. The Government accepts the recommendation of the Committee that the rate of commission paid to the dealers on Light Diesel Oil should continue to remain at the present level of Rs. 6.60 per KL and that the local authorities may allow recovery of any extra expenditure incurred by agents dealers under local conditions.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and the Concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. MUKERJI, Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd September 1972

CORRIGENDUM

SUBJECT :—*National Codex (Food Products Standards) Committee.*

*No. F.*14-19/71-*P.H.*—In para 1 of the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development Resolution No. F. 14-36/67-PH, dated the 31st March, 1970, as amended *vide* this Ministry's Corrigendum No. *F.14-19/71-PH*, dated *the 6th October, 1971*, on the subject mentioned above, for the entry against Serial No. 15 the following entry may be *substituted* :—

"15. Deputy Assistant Director General (Prevention of Food Adulteration), Directorate General of Health Services—Member Secretary/Liaison Officer.

ORDER

ORDERED that a copy of this Corrigendum be communicated to the Secretary to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission; all Ministries of the Government of India; all State Governments and Government of Union Territories; Official Members of the Committee.

ORDERED that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED that a copy of this Corrigendum be communicated to the Directorate General of Health Services, New Delhi.

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

New Delhi, the 23rd August 1972

RESOLUTION

No. V. 18014/1/72-*MPT.*—A Committee was set up to examine the question of formation of a Common Governing Body for the All India Institute of Mental Health, Bangalore and the Government Mental Hospital, Bangalore, under Resolution No. 8-20/70-MPT, dated 1-6-1972. The Committee was required to submit a report within 3 months of its constitution. It has now been resolved to extend the term of the Committee by another four months on the same terms and conditions.

Q. M. H. ZINJANI, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 25th August 1972

RESOLUTION

No. 11-42/69-*LDI.*—In partial modification of the Govt. of India Resolution No. 11-42/61-L.D.I., dated 20-3-1971 appointing a Committee for ascertaining the requirements of Cereal grains to support the expanding livestock production

in India in the field of dairying, poultry and piggery industries, the Government of India have decided to appoint Shri S. B. Goswami Joint Commissioner, Central Cattle Breeding Farms, Department of Agriculture, as Chairman of the Committee in place of Dr. O. N. Singh, Joint Commissioner Livestock Production, Department of Agriculture. It has also been decided that Shri U. S. Pande, Under Secretary Department of Food, will act as convener of the Committee in place of Shri K. B. Thiagarajan, formally Under Secretary in the Department of Food.

2. In partial modification of this Resolution, the Government of India also order that the Committee may submit its report by 30th September, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

1. All the State Governments/Union Territories.
2. All Ministries/Departments of the Government of India.
3. Cabinet Secretariat.
4. Prime Minister's Secretariat.
5. President's Secretariat.
6. Planning Commission.
7. The Comptroller & Auditor General of India.
8. The Accountant General, Central Revenue, New Delhi.
9. The Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
10. The Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.
11. The Indian Council of Medical Research, New Delhi.
12. The Director General of Health Services, New Delhi.
13. The Chairman and all members of the Committee on Requirements of Cereal Grains to support Livestock Production in India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th September 1972

No. F.27(1)/72-Cdn.I/ICAR.—Under the provisions of Rule 75 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Agriculture has been pleased to nominate the following to be members of the Standing Committee for Animal Sciences Research of the Society for a period of three years with effect from the 8th July, 1972, or till such time as their successors are nominated by him thereon whichever is earlier :—

1. Dr. Mahsoon Alam, Professor & Head, Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.).
2. Shri J. M. Dujarbarua, Director of Animal Husbandry and Veterinary Department, Assam, Gauhati.
3. Dr. K. K. Jya, Technical Director, Coca-Cola Export Corporation, 14-A, Nizamuddin West, New Delhi-13.
4. Dr. V. G. Jhingran, Director, Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, *Via* Calcutta.
5. Dr. K. Kanungo, Joint Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi-12.
6. Dr. M. L. Magoon, Director, Indian Grassland & Fodder Research Institute, Jhansi, U.P.
7. Dr. D. R. Marwaha, Director of Animal Husbandry, Jammu & Kashmir, Srinagar Jammu Tawi.
8. Dr. K. K. G. Menon, Hindustan Levers Ltd. Research Centre, Chakala, Andheri (East), Bombay-69.
9. Dr. R. D. Nanjiah, Director of Instructions, College of Veterinary Medicine, University of Agricultural Sciences, P.O. Hobbal, Bangalore.
10. Dr. N. K. Pannikkar, Director, National Institute of Oceanography, (CSIR), Miramar, Panaji (Goa).
11. Shri T. R. Puri, Joint Director (Training), Central Statistical Organisation, Sardar Patel Bhawan, Parliament Street, New Delhi-1.
12. Dr. C. Krishna Rao, Animal Husbandry Commissioner with the Government of India Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture), New Delhi-1.
13. Dr. S. N. Ray, Emeritus Scientist, College of Veterinary Medicine, G. B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar, U.P.
14. Dr. V. Ratna Sabhapati, Dean of Veterinary and Director of Research, Madras Veterinary College, Vepery, Madras.
15. Shri Bajrang Bahadur Singh of Bhadri, *The Garh*, District Pratapgarh, Uttar Pradesh.
16. Dr. C. M. Singh, Director, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, U.P.
17. Dr. D. Sundaresan, Director, National Dairy Research Institute, Karnal (Haryana).

T. S. PRUTHI, Under Secy.

Department of Science and Technology

New Delhi-1, the 30th August 1972

No. 1/8/71-*CTE.*—It it notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860) the Society (Council of Scientific & Industrial Research) has been reconstituted for a period of three years with effect from 1-9-1971 to 31-8-1974 and shall consist of the following :—

President

1. Prime Minister.

Vice-President

2. Minister for Industrial Development and Science & Technology, Government of India, New Delhi.

Members

3. Shri Y. B. Chavan, Union Minister of Finance, New Delhi.
4. Shri Mohan Kumaramangalam, Minister for Steel & Mines, Government of India, New Delhi.
5. Shri M. S. Pathak, Member, Planning Commission, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi-1.
6. Dr. B. D. Nag Chaudhuri, Scientific Adviser to the Minister of Defence, South Block, New Delhi-11.
7. Dr. M. S. Swaminathan, Director General, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi.
8. Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
9. Shri S. Moolgaonkar, Vice-Chairman, Tata Engineering & Locomotive Co., Jamshedpur (Bihar).
10. Shri G. Parthasarathi, Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University, Vigyan Bhavan Annexe, Maulana Azad Road, New Delhi-11.
11. Shri H. N. Sethna, Chairman, Atomic Energy Commission, Trombay, Bombay.
12. Shri A. S. Rao, Managing Director, Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, Andhra Pradesh.
13. Dr. J. J. Narurkar, Managing Director, Sunita Laboratories, Indore, Madhya Pradesh.

14. Shri P. N. Mathur, Chairman, British India Corporation, Kanpur, Uttar Pradesh.

15. Shri M. S. Parthasarathi, President, Federation of Associations of Small Industries, Madras, Tamil Nadu.

16. Dr. A. Ramachandran, Director, Indian Institute of Technology, Madras, Tamil Nadu.

17. Shri N. B. Prasad, Managing Director, Andhra Foundries Ltd., Hyderabad, Andhra Pradesh.

18. Shri K. C. Shroff, Director, Excel Industries Ltd., 184-187, Swami Vivekanand Road, Jogeshwari, Bombay-60 N.B.

19. Col. B. Basu, Chairman, Bascon Consultants Ltd., Calcutta, West Bengal.

Ex-Officio Members

20. Financial Adviser to CSIR, Ministry of Finance, South Block, New Delhi-11.

21. Director-General, Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi-1.

K. G. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.
to the Government of India (Ex-officio),
Department of Science & Technology

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 4th September 1972

No. 6/9/71-*B&B*.—WHEREAS *vide* Government of India, Ministry of Works, Mines and Power Resolution No. DW II-22(3), dated the 25th September, 1950, it was decided to set up the Bhakra Control Board and the Bhakra Advisory Board to ensure efficient, economical and early execution of the Bhakra Nangal Project including all connected works in Punjab (I) Pepsu, Rajasthan and Bilaspur;

It is notified for general information that the aforesaid Board ceased to function with effect from the 1st November, 1966.

S. L. CHATTERJI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972